प्रयास किया है।

1. अंतः समूह— अंत:समूह वह समूह है जिनके हम सदस्य होते हैं और जिससे हमारा अपनापन होता है या अपनेपन की भावना होती है। इसमें एक प्रकार की 'वयं की भावना' (We-feeling) पायी जाती है, इसीलिए इसे कुछ लोगों ने 'We-group' कहकर पुकारा है। सदस्यों में सुख-दुख को बाँटने की इच्छा होती है और सभी परस्पर एक-दूसरे से प्रेम एवं सहानुभूति रखते हैं। अंत:समूह एक प्रकार का अपनापन का भाव प्रदर्शित करता है, जिसे हम किसी सीमा के अन्तर्गत नहीं रख सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह लगाव किसी को अपने परिवार से, अपनी समिति से, अपनी समुदाय से या पूरे राष्ट्र से हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में ये सभी हमारे लिए अंत:समूह हो सकते हैं। सदस्य अपने अंत:समूह को अन्य सभी समूहों के लोगों से अलग मानते हैं। हॉर्टन एवं हण्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब व्यक्ति यह कहने लगता है कि यह मेरा परिवार, दोस्त, धर्म या राष्ट्र है, तब अंत:समूह की बात सामने चली आती है। दूसरी तरफ आदिम समाज में अंतः या बाह्य समूह का निर्धारण इस बात से नहीं होता था कि क्या उसका अपना और क्या पराया है। उस काल में लोग नातेदारी के आधार पर यह निर्णय लेते थे कि कोई समूह अंतः है या बाह्य। जिन लोगों के बीच नातेदारी का सम्बन्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाया जाता था, उन्हें अंत:समूह माना जाता था। जबकि आधुनिक समाज में अंतः या बाह्य समूह की अवधारणा का आधार नातेदारी मात्र नहीं है। व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा, प्रजाति, राष्ट्र या समुदाय का क्यों न हो, वह अंत:समूह का सदस्य हो सकता है। आधुनिक समाज में कभी-कभी यह पता भी नहीं चलता कि किसे अंत:समूह या किसे बाह्य समूह कहा जाय। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जिसके हम सदस्य हैं, वह अंत:समूह है।

2. बाह्य समूह— यह कई नामों से जाना जाता है, जैसे— 'They-group' एवं 'Others-group'। यह वैसा सामाजिक समूह है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे समूहों के साथ हमारा न व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होता है और न इसके साथ कोई अपनापन-भरा लगाव। ऐसे समूहों को हम प्रायः अपना विरोधी मानते हैं और यही कारण हैं कि इसे हम संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। भारत में जो जातीय या साम्प्रदायिक उपद्रव देखने को मिलता है, उसके पीछे मूल रूप से बाह्य समूह वाली भावना ही काम करती है।

दो सम्प्रदायों के सदस्यों या दो भाषाई क्षेत्रों के सदस्यों या फिर दो भिन्न नृजाति समूहों के सदस्यों में अक्सर दंगे होते हैं इसका मूल कारण यह है कि जिस समूह के हम सदस्य होते हैं उसे अपना समूह मानते हैं और अन्य सभी समूहों को बाहरी समूह मानते हैं।

अंत:समूह या बाह्य समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसके

Scanned with CamScanner

अन्तर्गत परिवार जैसे छोटे समूह भी शामिल किए जा सकते हैं और पूरे राष्ट्र जैसे बड़े समूह भी।

कभी-कभी अंत:समूह से हमारा लगाव इतना गहरा हो जाता है कि हम बाह्य समूह को कई स्तरों पर संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। बाह्य समूह के विरुद्ध कभी-कभी हमारी मानसिकता इतनी पक्षपातपूर्ण हो जाती है कि देश या समाज की शांति भी खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार दूसरी जाति, धर्म, संस्कृति या प्रजाति के विरुद्ध हमारी धारणाएँ आपसी संघर्ष को जन्म देती हैं।

(C) सोरोकिन ने समूह के अन्तर्गत पाए जानेवाले सम्बन्धों के आधार पर उसे दो भागों में बाँटा है- 1. **एकल-बन्धन समूह/एक कार्यात्मक समूह (Unibonded/ Unifunctional Group)** एवं **2. बहु-बंधन समूह/बहुकार्यात्मक समूह (Multibonded/Multifunctional Group)।**

1. एकल-बंधन समूह– सोरोकिन ने वैसे समूह को एकल-बंधन समूह कहा है जिसमें सभी लोग एक ही आधार पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि कुछ लोग प्रजाति (Race), लिंग (Sex), उम्र (Age), नातेदारी (Kinship), भाषा, धर्म एवं शिक्षा के आधार पर समूह का निर्माण करते हैं, तो उसे एकल-बंधन समूह कहा जाता है।

सोरोकिन ने पुन: इस प्रकार के समूहों को दो भागों में बाँटा है- **1. जैव-सामाजिक एक-कार्यात्मक समूह (Bio-social Unibonded Group)** तथा **2. सामाजिक-सांस्कृतिक एक-कार्यात्मक समूह (Socio-cultural Unibonded Group)।**

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जैव-सामाजिक एक-कार्यात्मक समूह का आधार जैविक है एवं व्यक्ति अपनी किसी जैविक विशेषता के आधार पर ऐसे समूहों का सदस्य होता है। उदाहरणस्वरूप आयु, लिंग, प्रजाति समूह इत्यादि।

दूसरी ओर कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिसको लोग अपने किसी सामाजिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्माण करते हैं। उदाहरणस्वरूप क्लब, अस्पताल, महाविद्यालय इत्यादि।

2. बहु-बंधन समूह– जब किसी समूह के लोग एक से अधिक प्रकार के बन्धनों से बंधे होते हैं तो उसे बहु-बन्धन कहा जाता है। जैसे– परिवार एक बहु-बन्धन समूह है, क्योंकि उसके सदस्य विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार में पति-पत्नी यदि वैवाहिक आधार पर जुड़े होते हैं, तो पिता-पुत्र या भाई-बहन रक्त सम्बन्धों के आधार पर जुड़े होते हैं। चूँकि जाति, वर्ग, जनजाति एवं राष्ट्र रूपी समूहों में लोग एक-दूसरे से एक से अधिक आधारों पर जुड़े होते हैं इसलिए ऐसे समूहों को सोरोकिन ने बहु-बन्धन समूह कहा है।

चूँकि वर्तमान समय में समूह शब्द का प्रयोग इतने बृहत् अर्थ में नहीं होता है, इसलिए आज के समाजशास्त्री सोरोकिन के समूह के इस वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करते हैं। सोरोकिन की तरह अन्य विद्वान यह मानने को तैयार नहीं है कि जाति, प्रजाति

Scanned with CamScanner